श्रीमती रत्ना ओस्तवाल

नारी सशक्तिकरण महज एक नारा नहीं है

हम कभी ऐसी टिप्पणियां सुनते हैं कि लिंग भेद एक पश्चिमी धारणा है। भारत देश में इसकी जरुरत नहीं है इस सोच को सिद्ध करने के लिए कई तर्क दिये जाते हैं। जैसे अनादिकाल से देवी पूजा होती आई है। प्राचीन इतिहास में जैसे कई विदुषी महिला, शासकीय, प्रशासकीय महिला पुराणों में लोक कथाओं में, आगमों में नारी गाथा का सार्वभौम उल्लेख है और उनकी सेवा समर्पणा की लोक दुहाई देते हैं जिससे साबित होता है कि औरतों का मान, सम्मान और आदर सदैव होता आया है।

भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार मिला है। भारत का संविधान भी औरतों को, मर्दों को समान अधिकार का आश्वासन देता है। यह सभी बातें साबित करती हैं कि भारत की औरत समाज की स्वतंत्र व सम्मानित सदस्य है।

कुछ सबूतों का पुल्लिंदा दर्शाता है कि –

१ : भारत में प्रति १००० मर्दों पर ९३३ औरतें हैं।

२ : अधिकांश औरतें कुपोषण का शिकार होती हैं।

३ : परिवार के भीतर लड़कियों को पोषण संबंधी भेदभाव का सामना करना पड़ता है,

४ : परिवार में भी सबको खिलाकर अंत में और कभी-कभी कम खाना पड़ता है।

५ : ७६% मर्दों की तुलना में ५४% भारतीय महिलाएं साक्षर हैं।

६ : चाहे शासन हो या समाज परिवार में निर्णय लेने वाले पदों पर औरतों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वर्तमान में ८% से कम संसदीय सीटों पर ६% से कम मंत्रीमंडलों और ४% उच्च और उच्चतम न्यायालयों मे स्थान है।

जीवन भर ७०% महिलायें परिवार के भीतर व बाहर हिंसा का सामना करती हैं। पुलिस रिकार्ड के अनुसार हर २५ मिनट पर यौन उत्पीड़न और यौन छेड़छाड़, ३४ मिनट पर बलात्कार, ४५ मिनट पर यौन उत्पीड़न और हर ४३ मिनट पर एक औरत से तलाक या अलगाव किया जाता है।

सार्वजनिक मुद्दों पर विचार या चिंतन हेतु या औरतों पर होने वाले अमानवीय अत्याचारों पर दिया जाने वाला समय चाहे वह मिडिया हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे नेताओं के भाषण हों, इन निर्धारित कार्यक्रमों में मात्र १४% जगह महिलाओं के लिए निर्धारित होती हैं।

आज के आधुनिक परिवेश में प्रचार-प्रसार के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को घुस्सैल, चिड़चिड़ी रिश्तों में निभाने में असफल बताया जाता है। आज के आधुनिक सीरियल या विज्ञापनों की दुनिया में नारी को बढ़ा-चढ़ाकर चाहे यौन उत्पीड़न, शादी, माता पिता की भूमिका आदि उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों पर अवांछनीय मजाक उड़ानेवाले, रीति रिवाजों पर कलंक रूप, शादी के बंधन का घिनौना रूप दर्शाकर नारी पात्र को कलंकित किया जाता है। आज भी प्रकाशन माध्यम में औरतों को सिर्फ हांशिये पर जगह मिलती है। विज्ञापन के जरिये अश्लील रूप में नारी के प्रदर्शन आदि के खिलाफ आवाज पर अनदेखा किया जाता है। आज तक किसी भी प्रांत ने अश्लील विज्ञापन पर रोक नहीं लगाई है।

भारत में कितनी औरतें रहती हैं? पिछले समय की गणना के अनुसार भारत की कुल १.०३ अरब की जनसंख्या में ४९ करोड़ ६० लाख औरतें हैं। इस अनुपात में तो एक हजार मर्दो के पीछे ९३३ औरते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से ३.२ करोड़ औरतें गायब हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि औरतें पैदा होने के पहले ही मार दी जाती हैं। कुछ कुपोषण, कुछ बलात्कारी की शिकारी होकर आत्महत्या करती हैं। माननीय अमर्त्य सेन के तर्क के अनुसार ३.२ करोड़ का हिसाब हमारे पास नहीं है। यह

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

सब चिंतन का विषय है।

हरियाणा में	१००० पुरुष के पीछे	८६० महिलाएं हैं।
मध्यप्रदेश में	१००० पुरुष के पीछे	८७५ महिलाएं हैं।
उड़ीसा में	१००० पुरुष के पीछे	९७२ महिलाएं हैं।
केरल में	१००० पुरुष के पीछे	९३० महिलाएं हैं।

इस तरह से घटता-बढ़ता आंकड़ा सिद्ध करता है, यही बताता है कि महिलाओं को जीने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

दुर्भाग्य है कि भारत में औरतें कितनी आजाद हैं, कितनी बराबर हैं, कितनी निम्नस्तर का जीवन जी रही हैं, इन सबका सवाल और जबाब आज तक भी समाचार पत्र हो या कोई मीडिया या नेताओं की बड़ी सभाएं हो या किसी महात्मा का उपदेश, नहीं दिया। भारत की नारी के लिए आज भी यह प्रश्न चिह्न है? क्या भारतीय नारी की संभावनाएं विकसित करने की आजादी है? क्या उनकी आजादी छिननेवाले मुख्य स्रोतों से वे सुरक्षित है। क्या हिंसा, भेदभाव, अभाव, भय तथा अन्याय से वे सुरक्षित हैं? इन सब सवालों का जबाब मात्र नारी सशक्तीकरण है जिसके अंतर्गत स्वयं जलती मशाल के रूप में मानसिक भावानात्मक सुरक्षा, दूसरों द्वारा कह दिया जाने वाला विश्वास जो राष्ट्र, समाज परिवार और हम सबके जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

नारी सशक्तीकरण कोई मापतौल का विषय नहीं हैं लेकिन व्यापक रूप से छेड़ा गया आंदोलन नारी जाति को अपना स्तर बनाने के लिए कई उपलब्धियों के स्तरों के साथ समानता का अधिकार हासिल करने की हरित क्रांति है। आज भारत में कितनी औरतें जो करना चाहें, करने के लए स्वतंत्र है जो वे बनना चाहे बनने के लिए आजाद हैं। उनके आगे संषर्ष, आत्मसम्मान और विकास की मांग है और इन्हीं अवसरों की समानता के साथ नारी सशक्तीकरण सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक समान अवसरों के साथ उपलब्धियों को पाने का और ऊँचाइयों को छूने का माध्यम है। कुछ ऐसा ही नारी सशक्तीकरण में पाना है जो

१. भरपूर जीने की आजादी दे।
२. स्वस्थ जीवन का अधिकार।
३. शिक्षा का अधिकार।
४. बिना शोषण के काम करने का अधिकार।
५. बिना शोषण निर्णय का अधिकार।
६. भय से आजादी आदि मुद्दे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं सतर्कता कह सकते हैं।

मुझे महसूस होता है कि नारी सशक्तीकरण आत्मा की आवाज है, निर्मल हृदय की पुकार है। इसीलिए भारतीय संविधान औरतों को विश्वास दिलाता है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान व कोई भेदभाव न हो। अनुच्छेद १५ (१) औरतों तथा मर्दों को समान रूप से रोजगार तथा सरकार के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के मामले में समानता अनुच्छेद (१६) औरतों तथा मर्दों के लिए समान रूप से, रोजगार के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए सरकार को नीति निर्देश / अनुच्छेद ३९ (ए) औरतों तथा मर्दों दोनों के लिए समान काम का समान वेतन अनुच्छेद ३९ (डी) है। इस तरह नीर सशक्तीकरण महज एक नारा नहीं है, यथार्थ का दर्शन है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन महिला समिति

■

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org